अध्याय-14

पट्टा तथा सर्वकालिक पट्टा के क्रियान्वयन के अंतर्गत पूर्णता प्रमाणपत्र प्रदान करनाः

प्लॉट पर भवन निर्माण पूर्ण होने तथा संबंधित स्थानीय निकाय से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाने के बाद पट्टाधारक को पट्टे के नियम व शर्तों के अनुसार पूर्णता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करना होगा।

पट्टे के नियम व शर्तों के अनुसार पूर्णता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद अथवा स्थानीय निकाय द्वारा जारी पूर्णता प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद, पट्टा अनुभाग यह जांच करेगा कि कार्यालय के संज्ञान में संबंधित पट्टे में कोई उल्लंघन/अतिक्रमण का मामला तो नहीं है। यदि ऐसा है, पट्टाधारक के आवेदन पत्र पर या नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र पर कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित उल्लंघन/अतिक्रमण का निस्तारण नहीं किया जाता है या क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। जिन मामलों में पट्टाधारक द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाता है लेकिन वह उल्लंघन/अतिक्रमण का निस्तारण करने में सक्षम नहीं है, तो उसे निर्धारित तिथि तक उसके निस्तारण करने संबंधी या उस उल्लंघन/अतिक्रमण की समाप्ति तक भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर नियमित करा लेने का शपथपत्र देना होगा। उसके बाद ही पूर्णता प्रमाणपत्र के आवेदन पत्र पर आगे की कार्यवाही उल्लेखित विवरण के अनुसार की जाएगी।

जिन मामलों में कार्यालय के संज्ञान में संबंधित पट्टे में कोई उल्लंघन/अतिक्रमण का मामला नहीं है या क्षतिपूर्ति के भुगतान पर नियमित करा लिया गया है तथा आवश्यक शपथपत्र उपलब्ध करा दिया गया है, तो संबंधित पट्टा अनुभाग द्वारा फाइल को पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु संबंधित परीक्षण के लिए तकनीकी अनुभाग को सौंप दिया जाएगा। तकनीकी अनुभाग साइट का निरीक्षण करेगा तथा निर्माण का प्लान से मिलान करेगा। उन्हें सिक्योरिटी शीट पर भर कर अभियंता अधिकारी के पास जमा किया जाएगा। अभियंता अधिकारी की स्वीकृति के बाद फाइल संबंधित पट्टा अनुभाग को वापस भेज दी जाएगी, जो भावी पट्टाधारक को पट्टे के नियम व शर्तों के अनुसार पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने की सूचना

प्रदान की जाएगी तथा उसे सर्वकालिक पट्टा तैयार करने के लिए शुल्क भुगतान के लिए कहा जाएगा।

पट्टे के नियम व शर्तों के अनुसार पूर्णता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के बाद तथा पट्टाधारक द्वारा सर्वकालिक पट्टा विलेख तैयार किए जाने संबंधी शुल्क के भुगतान के बाद इसके वास्तविक क्रियान्वयन की कार्यवाही की जाएगी।